

न्यायालय, मुंसिफ, बनमनखी (पूर्णिमा)

T.S 12/2022

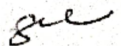
09.01.2023

वादी की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर वादी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश -6 नियम-17 सी0 पी0 सी0 दिनांक- 02.01.2023 के संशोधन आवेदन को चालित करते हुए कथन करते हैं कि वाद अभी ग्रहण हेतु लंबित है और आगे कथन करते हैं कि टंकण भूल के कारण मूल वाद-पत्र के पेज नं0 -2 के पेरा नं0-01 में टाईपिंग गलती के कारण जो जमीन रकवा 0.20 डी0 लिखा गया है उसके स्थान पर 20 डिसमील सुधार करना चाहते हैं। आवेदन पेरा नं0-02 में आयोधी सुतिहार वो किशुनदेव सुतिहार दोनों भाई के नाम टोटल रकवा-50 डिसमील क स्थान पर 0.50 डी0 हो गया है जो सुधार की आवश्यकता है एवं आवेदन नं0-04 पेज नं0-03 में अंतिम लाईन में जमीन का रकवा-30 डी0 के स्थान पर 0.30 डी0 अंकित हो गया है। आवेदन पेज नं0-03 के पारा नं0-05 लाईन 01 में रकवा-7 डी0 के स्थान पर 0.07 डी0 अंकित हो गया है तथा पेरा नं0-05 के अंतिम लाईन में रकवा-0.24 1/2 डी0 टंकण हो गया है, जिसके स्थान पर 24 1/2 डी0 अंकित करना है तथा आवेदन पेरा नं0-04 के पेरा नं0-06 में दूसरा लाईन एवं चौथा लाईन में रकवा-0.10 डी0 के स्थान पर रकवा-10 डी0 अंकित करना चाहते हैं एवं आवेदन के पेरा नं0-06 के चौथा लाईन में रकवा-0.20 डी0 के स्थान पर 20 डी0 अंकित करना चाहते हैं तथा आवेदन पेज नं0-05 के पेरा नं0-08 के अंतिम लाईन में रकवा-0.25 डी0 के स्थान पर 25 डी0 अंकित करना चाहते हैं तथा आवेदन पेज नं0-08 में कुल वाद भूमि में रकवा 0.20 डी0 के स्थान पर 20 डी0 अंकित करना चाहते हैं। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अतः वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाद अभी प्रविष्टि बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंबित है। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन किये जाने से वाद की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दिनांक-02.01.2023 को दाखिल संशोधन आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर उक्त आवेदनानुसार वाद-पत्र में संशोधन करे। अभिलेख द्वितीय पाली में अग्रतर कार्यवाही हेतु नियत किया जाता है।


मुंसिफ
बनमनखी।